तकनीकी बिड

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

निविदा–प्रपत्र

निविदा मूल्य : 500 रुपये

निविदा का नाम	विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल/ कार एवं तीन और चार पहिया वाले छोटे वाहन के स्टैण्ड के ठेके के लिए ।
आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का नाम	....
दूरभाष नम्बर	....
पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप	....
पत्र व्यवहार का पता	....
अर्नेस्टमनी	रुपये 25,000/– मात्र (रूपये पच्चीस हजार मात्र) बैंक एफ.डी.आर. .... दिनांक .... बैक का नाम ....
निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड की तिथि	05 मई, 2017 से
निविदा प्रपत्र की हार्डकॉपी स्वीकार की अंतिम तिथि	17 मई, 2017 अपरान्ह 3.30 बजे
निविदा खुलने की तिथि व समय–	17 मई, 2017 अपरान्ह 4.00 बजे
निविदा का विवरण	मैं/हम .... फर्म का नाम .... प्रोपराइटर/पार्टनर .... निविदा के साथ संलग्न लिस्ट पर दी गई दरों पर कार्य करने को सहमत हूँ।

....

(हस्ताक्षर निविदादाता)

पता ....

टेलीफोन/मोबाइल नं0 ....

रजिस्ट्रेशन सं0 .... दिनांक......................

आयकर पैन नम्बर ....

नोट–

वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ टेण्डर अभिलेख निर्धारित तिथि व समय तक निविदा मूल्य रूपये 500/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं धरोहर राशि के एफ.डी.आर. के साथ जो ''वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा'' के पक्ष में देय हो, के साथ जमा करना अनिवार्य होगा ।

भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

घोषणा–पत्र

निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत मैं श्री .... पार्टनर/प्रोपराइटर निवासी .... फर्म का नाम .... विश्वविद्यालय परिसर में साइकिल/स्कूटर/ मोटर साइकिल/ कार एवं तीन और चार पहिया वाले छोटे वाहन के स्टेण्ड के ठेके के लिए अपनी निविदा की दरें संलग्न कर रहा हूँ । अर्नेस्टमनी का बैक एफ.डी.आर संख्या ....दिनांक .... रूपये ....बैंक का नाम .... जो वित्त अधिकारी डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम बन्धक है इस निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ मैंने निविदा सम्बन्धी नियम व शर्तें भली भॉति पढ़ लिया है तथा मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मैं निर्धारित समय के अन्दर ठेके की कार्यवाही नियमानुसार यथा जमानत राशि, इकरारनामा आदि पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरे बयाने की राशि जब्त कर ली जाय। इन नियमों एवं शर्तों का मैं पूर्ण रूपेण परिपालन करूँगा तथा उसके विरुद्ध मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं रहूँगा।

एतद्द्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियम मुझे बिना किसी आपत्ति के स्वेच्छा से स्वीकार हैं। सभी विवादों में कुलपति महोदय डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा किये गये समस्त निर्णय मुझे मान्य होंगे।

गवाह–

हस्ताक्षर एवं पता

....

हस्ताक्षर एवं पता ....

....

दिनांक– ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम ....

....

फर्म से सम्बन्ध ....

पूरा पता ....

मोबाइल नं0 ....

नोट–

1– निविदा की तीन प्रतियॉ मिलेंगी ।

2– दो प्रतियॉ विश्वविद्यालय में (प्रथम पर मूल व द्वितीय पर डुप्लीकेट प्रति अंकित कर) निर्धारित दिनांक एवं समय तक जमा होंगी ।

3– निविदा के साथ रूपये 100/– का नॉन जुडीशियन स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

<u>वित्तीय बिड</u>

विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल/ कार एवं तीन और चार पहिया वाले छोटे वाहन के स्टैण्ड के ठेके के लिए ।

मैं/हम.. (प्रोपराइटर/पार्टनर) फर्म का नाम ....

फर्म का पता ....

निविदा रूपये .... (रूपये ....मात्र) प्रति वर्ष पर लेने को तैयार हूॅं ।

ठेके की एकमुश्त सम्पूर्ण धनराशि हमारे द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में जमा की जायेगी ।

दिनांक–

(हस्ताक्षर निविदादाता)

फर्म की मोहर

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. वाहन शुल्क की दरें निम्न प्रकार चार्ज की जायेगी;——

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	विश्वविद्यालय परिसर	
		दर प्रतिदिन	मासिक दर
1	साइकिल	रु0 2.00	रु0 30.00
2	स्कूटर/मोटर साइकिल	रु0 10.00	रु0 150.00
3	कार/जीप/टैक्सी/टैम्पो	रु0 20.00	रु0 400.00

2. ठेकेदार को ठेके की एकमुश्त धनराशि निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में जमा कराकर बैंक रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । <u>ठेके की एकमुश्त धनराशि एक सप्ताह में जमा न किये जाने पर ठेका निरस्त माना जाय । विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के स्वतः ठेका द्वितीय प्रस्तावक/ फर्म को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ।</u>

3. विश्वविद्यालय के शैक्षिक/शिक्षेत्तर कर्मचारी/अधिकारियों के वाहनो से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के चार पहिया वाहनों से भी कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4. ठेकेदार को किसी शासकीय महाविद्यालय, शासकीय संस्था अथवा विश्वविद्यालय में ठेका संचालन का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

5. दरों का बोर्ड ठेकेदार द्वारा स्टैण्ड के प्रवेश द्वार पर ही लगाना होगा । विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर के स्टैण्ड से कोई वाहन चोरी होता है अथवा अन्य कोई वाहन की क्षति होती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।

6. निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायत मिलने और जाँच के उपरान्त सही पाये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा सिक्योरिटी व अर्नेस्टमनी जब्त कर ली जायेगी।

7. निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि वित्त अधिकारी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नाम देय होगी। राष्ट्रीकृत बैंक की एफ.डी. आर. ही (अन्य किसी रूप में मान्य नहीं होगी) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. यदि निविदा फर्म के नाम होगी तो फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप ऐक्ट/कम्पनी ऐक्ट तथा व्यापार कर आयकर एवं कार्य के अनुभव का उल्लेख तथा समर्थन में अनुभव प्रमाण–पत्र व (केन्द्रीय व राज्य) वैट अधिनियम आदि तथा हस्ताक्षरकर्ता के नाम फर्म का मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटार्नी) लगाना आवश्यक होगा।

9. जिस कार्य के लिए ठेका दिया जा रहा है वह कार्य शिष्टाचार से कराया जाना चाहिए अगर ठेकेदार/फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो अन्य श्रोतों से निविदा में वर्णित कार्य करा लिया जायेगा। कुलपति या उनके प्रतिनिधि का फैसला निविदादाता को मान्य होगा और उस फैसले के विरुद्ध निविदादाता को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।

10. निविदा की स्वीकृति पर कुलपति जी का फैसला अन्तिम होगा। निविदा देने वाले व्यक्ति को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

11. बजट की धनराशि को बढ़ाने एवं घटाने इत्यादि हेतु विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति होने के बाद ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को घटित क्षति के लिये उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

13. फर्म/ठेकेदार के नाम से जो ठेका स्वीकृति किया जायेगा वह किसी भी दशा में किसी अन्य फर्म/ठेकेदार को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यदि फर्म/ठेकेदार ऐसा करते है तो उनका ठेका निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी जमानत राशि को जब्त करके विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया जायेगा।

14. इस निविदा के माध्यम से ठेका सामान्य परिस्थिति में एक वर्ष तक मान्य होंगा। किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि अगली निविदा एक वर्ष से पूर्व स्वीकृत नहीं हो पाती हैं तो अगली निविदा तक ठेके की धनराशि में नियमानुसार वृद्धि करते हुए धनराशि (निर्देशित अवधि तक का) विश्वविद्यालय कोष में तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा । एक वर्ष पश्चात् दोनों पक्षों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे कम से कम तीन माह की नोटिस देकर अपने को इस शर्त से अलग कर सकते हैं।

15. फर्म/ठेकेदार दर पर उद्धृत करने वाली अथवा अन्य फर्म/ठेकेदारों से न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाली फर्म/ठेकेदार के पास यदि कार्य का अनुभव नहीं है, अथवा उसका प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है, तो द्वितीय फर्म/ठेकेदार को वार्तानुसार ठेका देने के लिये विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होगा।

...2

16. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति हो जाने के उपरान्त निविदा संबंधी कार्यवाही जैसे सिक्योरिटी धनराशि, अनुबन्ध आदि की कार्यबाही निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता है तो उसकी निविदा को निरस्त मानते हुए अर्नेस्टमनी की धनराशि को अर्नेस्ट जब्त कर लिया जायेगा। निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा चाहे विलम्ब पोस्ट आफिस/कोरियर की गलती के कारण हुआ हो।

17. (क) निविदा प्रपत्र तीन प्रतियों में उपलब्ध है जिसमें से 2 प्रतियों में भरकर पृथक–पृथक लिफाफों में जमा करना होगा। जिस लिफाफे में तकनीकी विड एवं वित्तीय विड रखे जायेंगे उस लिफाफे पर क्रमशः ''मूल प्रति'' तथा दूसरे लिफाफे पर ''डुप्लीकेट प्रति'' अंकित किया जाय। निविदा प्रपत्र की एक प्रति निविदादाता की व्यक्तिगत प्रति होगी।

(ख) तकनीकी विड एवं वित्तीय विड अलग–अलग लिफाफों में सील कर दोनो को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील करने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा।

(ग) तकनीकी बिड वाले लिफाफे में केवल कार्य के अनुभव प्रमाण–पत्र, अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं क्रमांक 2 के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पावर आफ एटार्नी आदि तथा सैम्पल होंगे उस पर ''तकनीकी विड'' अवश्य लिखा जाये।

(घ) जिस लिफाफे में सामग्री की दरें प्रस्तावित होंगी उस पर वित्तीय बिड लिखा जाय।

18. कुलपति जी को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को वगैर कोई कारण बताए निरस्त/स्वीकृत कर सकते हैं ऐसी स्थिति में फर्म/ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

19. दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर कुलपति जी ही आरबिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

20. निविदा खोलने की तिथि से 90 दिवस तक वैध मानी जायेगी ।

21. समयबद्ध रूप से कार्य संपादित न करने अथवा असंतोषजनक/गुणवत्ता युक्त कार्य/आपूर्ति करने पर विश्वविद्यालय को किसी रूप में पैनल्टी लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।

22. न्यायिक क्षेत्राधिकार आगरा ही होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक –

पत्र व्यवहार का स्पष्ट पूरा पता
————————————————

————————————————

————————————————

दूरभाष नं0 ——————————
मोहर